

478357/84

Published in the Gazette of India Part II, Section 3(1)
under G.S.R.No. 298 dated 17.3.1984.

Government of India
Ministry of Steel and Mines
Department of Mines

New Delhi, the 28th Feb., 84.

9 Phalgun, 1905 Shaka

NOTIFICATION

G.S.R. No. 298: In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules 1960, namely:-

1. These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules 1984.
2. In the Mineral Concession Rules 1960, for the words " the Controller, Indian Bureau of Mines", wherever they occur, the words " the Controller General, Indian Bureau of Mines" shall be substituted.

Sd/- Durgadas Gupta
Deputy Secretary to the Govt. of India

(No. 16(33)/82-M-VI)

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3११ में सा.का.नि. नं० 298
के अन्तर्गत दिनांक 17.3.84 को प्रकाशित ।

भारत सरकार
इस्पात और खान मंत्रालय
खान विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28.2.84
9 फाल्गुन, 1985 शक

अधिसूचना

सा.का.नि. 298... खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम,
1957 का 67 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्र सरकार खनिज रियायत नियम 1960 में आगे और संशोधन
करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा :-

1. इन नियमों को खनिज रियायत संशोधन नियम 1984 कहा जायेगा ।
2. खनिज रियायत नियम 1960 में "नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो"
शब्द जहाँ कहीं भी होंगे उनके लिए "महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो"
शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

ह0/-

दुर्गादास गुप्त
उप सचिव, भारत सरकार
संख्या 16१33१/82-खान6

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार प्रेस,
मायागुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली ।